



गोपनीय मंत्री ज्ञानेश अडवी द्वारा दिनांक 28.8.18, एवं तिथि 28.8.18

पुस्तक ५० - PBR/IR/बैद्रलाख्या/२०१८/३९२७ पृष्ठ - छोटान

पुस्तक ५० - ५३१०/२०१८/४५०/अ.रा. नं. ५

शास्त्रीय

माला

कामा

त्रिवेदी

माला - माला

जारी कर आनंद धारा - 35(3) MPLR C-1959

महादेव

माला को आठ से तिर्यक त्रिवेदी के

1. यह कि उपरोक्त बहुत गान्धी गोपनीय मंत्री द्वारा 28.8.18 द्वारा SDO
के अधिकारी नारोस पेशी द्वारा 28.8.18 द्वारा SDO
के अधिकारी नारोस पेशी द्वारा 28.8.18 द्वारा

राष्ट्रीय

2. यह कि अधिकारी नारोस गान्धी द्वारा के कारण
ज्ञानेश अडवी द्वारा द्वारा के कारण युक्त
के अधिकारी नारोस गोपनीय मंत्री द्वारा द्वारा

3. यह कि उपरोक्त राष्ट्रीय द्वारा पुस्तक के अधिकारी
कानूनिक द्वारा को शास्त्रीय द्वारा द्वारा द्वारा

द्वारा कि ज्ञानेश

पुस्तक द्वारा द्वारा

उपरोक्त

द्वारा

द्वारा 28.8.18

द्वारा, 28.8.18

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रेस्टो०-५३१० | २०१८। भाग-अ
वैदेशी विवर

तहसील विरुद्ध विरुद्ध विरुद्ध
तहसील जिला विवर

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक
अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक तहसील का प्रकरण क्रमांक
वाद का विषय
अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक वे विरुद्ध श्री वे अभिभावक द्वारा अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पैरीबद्ध किया जा चुका है। पुनरावलोकन अवधि बाह्य है / नहीं है / मुद्रांक शुल्क पूर्ण है / रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतिलिपि संलग्न है / नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां गई हैं / नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है / नहीं दिया है।	प्रस्तुतकार	

२३-८-१८

आदेश आमंत्रित द्वारा दिनांक
उपर्युक्त उन्हें रेस्टोरेशन कावेस्ट वडा
पर लुका गदा। विचारों उपर्युक्त रेस्टोरेशन
कावेस्ट द्वारा इनार्ट किए जाना तथा
शुल्क अनुमति दिए दिए जाना
यह प्रकरण दैरियत दिए दिए है।

26.9.18

अद्यता

पौछे देखिये